बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– सिं0 मो0–221/2013 – 294 पटना, दिनांकः– 20.6.14

प्रेषक–

सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, डिहरी।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 278 दिनांक 04.6.2013

विषयः– सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम (PIM) के तहत कृषक समितियों का प्रबंधन पुनः सौपने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि विभाग द्वारा गठित उप–समिति की अनुशंसा के आलोक में आपके परिक्षेत्राधीन निम्न समितियों का प्रबंधन विभागीय निदेशानुसार पुनः पूर्व के कृषक समितियों को एक वर्ष के लिये औपबंधिक तौर पर सौपा गया था।

क्रमांक	कृषक समिति का नाम	संबंधित प्रमंडल का नाम	हस्तांतरण की तिथि
1.	कोइलवर वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, आरा	12.07.13
2.	सकला वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, आरा	12.07.13
3.	जैतपुर वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, आरा	28.06.13
4.	मौना वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज	8.07.13
5.	जयश्री रजवाहा कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज	12.07.13
6.	कैथी वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज	12.07.13
7.	कैसठ–2 वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज	12.07.13
8.	एल0पी0 चैनल–2 वितरणी कृषक समिति	सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज	12.07.13
9.	गारा चौवे शाखा नहर खंड–03 वि0 कृ0 समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
10.	गारा चौवे शाखा नहर खंड–06 वि0 कृ0 समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
11.	रघुनाथपुर वितरणी कृषक समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
12.	बढ़ुपुर वितरणी कृषक समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
13.	गारा चौवे शाखा नहर खंड–04 वि0 कृ0 समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
14.	डंगरी वितरणी कृ0 समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13
15.	गोड़सारा वितरणी कृषक समिति	डिहरी प्रमंडल, डिहरी	10.7.13

उपर्युक्त 15 कृषक समितियों को अगले दो वर्षो तक के लिये पुनः नहरों का प्रबंधन सौपने का निर्णय लिया जाता है ताकि कृषक समितियॉ अपनी कमियॉ दुरुस्त कर सकें। दो वर्ष की अवधि में उनका मूल्यांकन कर प्रबंधन अंतरण को विस्तारित किया जा सकता है। संम्बंधित कार्यपालक अभियंता, कृषक समितियों से बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली के पारा 6 के तहत फार्म–05 में आवेदन लेकर, फार्म–07 में सहमति ज्ञापन के साथ फार्म–06 में पॉच वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के लिये प्रबंधन अंतरित करेगें तथा सहमति ज्ञापन के विभिन्न शर्तो की जॉच मूल्यांकन उप– समिति के निर्देशानुसार पुरा करेगें।

आन्तरित किये जाने वाले उक्त सभी 15 कृषक समितियों से सम्बंधित कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय में प्रत्येक माह बैठक कर पूर्ण समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगें।

कार्यक्रम की सफलता के लिये मुख्य अभियंता द्वारा कृषक समितियों के साथ नियमित रूप से वर्ष में तीन बैठक (अप्रैल,अगस्त, दिसम्बर) कर उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करेगें।

विश्वासभाजन
19/6/2014
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः– 294 पटना, दिनांकः– 20.6.14

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, सचिव जल संसाधन विभाग, अभि0 प्रमुख(म) एवं उत्तर, सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/निदेशक वाल्मी/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1,2,3,4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

19/6/2014

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांकः– 294 पटना, दिनांकः– 20.6.14

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता कम्पयूटर कोषांग जल संसाधन विभाग को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशन हेतू सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित।

19/6/2014

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांकः– 294 पटना, दिनांकः– 20.6.14

प्रतिलिपि सभी संबंधित कृषक समितियों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

19/6/2014

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभि0)